ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज-पॉर्क-4,
<u>ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला- गौतमबुद्ध नगर-201310</u>

पत्रांकः ग्रे.नौ./किसान आबादी/2020/
दिनॉकः 12 ~~फरवरी~~ मार्च, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले स्थानीय किसानों को भावी आबादी विस्तार हेतु अधिग्रहण/भूमि क्रय किए जाने के बदले दिए जाने वाले 4/5/6/8/10 प्रतिशत किसान आबादी भूखण्डों के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 10.2.2020 के मद संख्या 117/18 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित किया गया हैः-

- प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 12.8.2014 में यह निर्णय लिया गया था कि "यदि किसी भी कृषक का भूखण्ड अर्जित भूमि के सापेक्ष 40 वर्गमीटर से कम आंकलित होता है तो उसे विकसित भूखण्ड देय नहीं होगा वरन विक्रय की गई भूमि के सापेक्ष 6 प्रतिशत भावी आबादी हेतु आगणित क्षेत्रफल का बैनामे की तिथि पर प्रवृत्त जिलाधिकारी द्वारा स्टॉम्प हेतु निर्धारित दर पर धनराशि प्राप्त किए जाने का पात्र होगा"।

  प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपरोक्त प्रस्ताव को वर्तमान में कार्यान्वित करते हुए योजना समस्त भूखण्डों पर लागू मानी जाएगी। जहॉ भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा एवं कृषकों को तत्समय प्रचलित प्रवृत्त जिलाधिकारी द्वारा स्टॉम्प हेतु निर्धारित दर पर अधिग्रहण/भूमि क्रय की तिथि के अगले वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने वाली तिथि के पूर्व वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक 08 प्रतिशत साधारण दर पर वार्षिक ब्याज भी अनुमन्य किया गया है। किसान को प्रस्ताव देते समय जो दर प्रेषित की जाएगी वह दर किसी भी स्थिति में प्रवृत्त जिलाधिकारी द्वारा स्टॉम्प हेतु प्रस्ताव के समय निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी। यदि ब्याज सहित आगणित दर अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में प्रवृत्त जिलाधिकारी द्वारा स्टॉम्प हेतु प्रस्ताव के समय निर्धारित दर को ही माना जाएगा। इस निर्धारित दर से कृषकों को पत्र के माध्यम से अवगत कराए जाने की तिथि के उपरान्त प्रस्तावित दर "अन्तिम दर" मानी जाएगी तथा तदोपरान्त किसी भी दशा में इस दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा एवं उक्त दर पर भवन/फ्लैट उपलब्ध कराने का विकल्प भी दिया जाएगा।

- प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई बहुमंजिला आवासीय भवनों/फ्लैट की योजनाओं एवं दुकानों व कियोस्क की योजना के अन्तर्गत ऐसे भवनों/फ्लैटों/दुकानों एवं कियोस्क जो कि वर्तमान में रिक्त हैं और प्राधिकरण के कब्जे में हैं, उन्हें कृषकों को आबादी भूखण्ड के बदले आवासीय भवनों/फ्लैटों/दुकानों एवं कियोस्क के रूप में इस प्राविधान के साथ आबंटित कर दिया जाए कि प्राधिकरण द्वारा कृषकों के भूखण्ड के एवज में निर्धारित ब्याज सहित दर को प्राधिकरण की आवासीय रिक्त भवनों/फ्लैटों/दुकानों एवं कियोस्क हेतु निर्धारित धनराशि में समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि प्राधिकरण द्वारा कृषकों से प्राप्त की जाएगी अथवा दी जाएगी। संचालक मण्डल द्वारा 40 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के आबंटियों को धनराशि देने तथा 40 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों

को धनराशि प्रस्तावित दरों पर या रिजर्व प्राइस पर प्राधिकरण द्वारा निर्मित रिक्त कियोस्क, दुकान, मकान दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्राधिकरण में लागू मानी जाएगी।

(चन्द्रकान्त त्रिपाठी)
उप महाप्रबन्धक (किसान आबादी)

<u>प्रतिलिपिः-</u>

- स्टॉफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ। 21377
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी/जी) महोदय के अवलोकनार्थ। 21380/21382
- विशेष कार्याधिकारी (एस.एस./एस.के.) महोदय के अवलोकनार्थ। 21383/21384
- समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ। (GM F), (GM Proj) (TE H)
- नोटिस बोर्ड, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण। 21387, 21392, 21398
- गार्ड फाईल।

O/c उप महाप्रबन्धक (किसान आबादी)